राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांकः प.9(1)साप्र/5/202–00469 जयपुर, दिनांकः 09-10-2023

आज्ञा

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत विश्राम भवनों में कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु वर्ष 2023–24 के लिए गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा के आधार पर नियम 33 के अन्तर्गत वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर निम्नलिखित कनिष्ठ सहायक को वरिष्ठ सहायक के पद पर वेतनमान Pay Matrix Level-8 (L-8) में एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से पदोन्नत किया जाता हैः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्ग	रिक्ति दिनांक	विशेष विवरण
1.	श्री प्रदीप बहोत	UR	01.04.2023	–
2.	श्री अजय मीणा	ST	01.04.2023	–
3.	श्री भूपेन्द्र कुमार डबरिया	SC	01.04.2023	–

(दिव्यांगजन हेतु आरक्षित एक पद के विरूद्ध कोई दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होने के कारण दिव्यांगजन आरक्षण को अग्रेषित किया जाता है)

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित कार्यरत कार्मिक अपने नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि से पदोन्नति के पात्र है। उक्त पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यग्रहण तिथि से देय होगा।

उक्त कार्मिक अपने वर्तमान स्थान पर ही कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट विभाग को भिजवाये।

राज्यपाल की आज्ञा से

(डॉ0 हर सहाय मीणा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव (जीजी), मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
3. संबंधित जिला कलक्टर।
4. संबंधित कोषाधिकारी।
5. संबंधित महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक/प्रबन्धक।
6. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग।
7. संबंधित कार्मिक।
8. निजी पत्रावली।
9. समस्त संबंधित।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Har Sahay Meena
Designation : Joint Secretary
Date: 2023.10.09 12:49:22 IST
Reason: Approved

Room No.1124 Main Building, Secretariat, Jaipur-302005
Tel.No.(J.S.)-0141-2227874 E-Mail-asgad5@rajasthan.gov.in
Website: www.gad.rajasthan.gov.in